भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2013

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

.....

सूखा और भूजल स्तर

2013. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में भूजल की कमी और भूजल प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2017 से अब तक देश में उपलब्ध भूजल भंडार की मात्रा क्या है, तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास सूखे/या पानी की बढती मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए कोई प्रणाली है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सूखे से राहत सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क और ख): भारत सरकार ने देश भर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। जल शक्ति अभियान (जेएसए), एक समयबद्ध अभियान है, जिसे वर्ष 2019 में भारत के 256 जिलों के जल की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सहित जल की उपलब्धता में सुधार करने के उद्देश्य से एक मिशन मोड दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया है। वर्ष 2021 के लिए 'जल शक्ति अभियान - कैच द रेन' अभियान दिनांक 22 मार्च 2021 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। तब से जल शक्ति अभियान एक वार्षिक, राष्ट्रव्यापी अभियान बन गया है।

मिशन अमृत सरोवर दिनांक, 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर भविष्य के लिए जल संरक्षण करने के उद्देश्य से आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और संरक्षण करना है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की पैरवी की गई है और वर्षा जल का सीधा उपयोग करते हुए जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है ताकि वे भूजल के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल विधान अधिनियमित कर सकें जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस भूजल विधान को अपनाया और कार्यान्वित किया है। देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भू-जल/वर्षा जल संचयन के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने/अपनाने के लिए उपाय करने की सलाह दी है। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से तैयार किया गया है जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाने वाली एक वृहद स्तरीय योजना है। इस मास्टर प्लान में 185 बिलियन क्यूबिक मीटर मानसून वर्षा जल का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। सीजीडब्ल्यूबी ने भूजल प्रबंधन और विनियमन स्कीम के अंतर्गत जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके अलावा, भूजल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है और देश में 1235 भूजल स्थानों सहित 4484 स्थानों पर जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जाती है। भूजल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है और बाद में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी "जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग संबंधी दिशानिर्देश, 2017" के अनुसार मुख्य मापदंडों, सामान्य मापदंडों (टीडीएस सहित), ट्रेस मैटल और कीटनाशकों समूह (सेट) के लिए जल के सैंपलों का विश्लेषण किया जाता है।

(ग): केन्द्रीय भूजल बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी ने वर्ष 2017 से तीन बार (वर्ष 2017, 2020 और 2022) सक्रिय भूजल संसाधन मूल्यांकन किया है। वर्ष 2017, 2020 और 2022 के लिए राज्य-वार भूजल संसाधनों का ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक I, II और III** में दिया गया है।

(घ और ङ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि 2023 के मानसून मौसम की शुरूआत से पहले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की गई है ताकि अनियमित मानसून के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए मौसम संबंधी किसी भी आकस्मिकता के प्रबंधन में राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की जा सके। उन्हें, जिला कृषि आकस्मिकता योजनाओं को अद्यतन/दुरुस्त करने की आकस्मिकता योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बीजों और अन्य इन्पुट की उपलब्धता को टाइ-अप करने; जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना; आद्रता के संरक्षण के लिए कृषि संबंधी प्रथाओं को बढ़ावा देना; फसल विविधीकरण द्वारा जल की कम खपत करने वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देना; सिंचाई के अवसंरचना का पुनर्भरण करने के लिए; जिला सिंचाई योजनाओं/हैंडपंपों और पेयजल परियोजनाओं की मरम्मत की तैयारी और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना; और राज्य मुख्यालय में सूखा मॉनीटरिंग केंद्र की स्थापना और सक्रियण करने की सलाह दी गई है।

सूखा प्रबंधन के लिए एक क्रॉप वैदर वॉच ग्रुप, दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून से सितंबर) के दौरान, राज्य सरकारों के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूखे की स्थिति का निर्धारण/आकलन करने के लिए, वर्षा की स्थिति, खरीफ फसलों की बुवाई की प्रगति, जलाशय स्तर और अन्य मापदंडों की निगरानी करता है और सूखे की स्थिति में राज्यों की तैयारी तथा बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करता है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आईसीएआर-केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए) के माध्यम से 650 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं तैयार की हैं ताकि किसी भी चरम जलवायु घटनाओं की स्थिति में कृषि उत्पादन को बनाए रखने के लिए स्थान विशिष्ट उपायों को कार्यान्वित किया जा सके। जिला स्तरीय आकस्मिक योजनाएं तकनीकी दस्तावेज हैं जिनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर एकीकृत जानकारी होती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडी) कार्यान्वित किया जा रहा है, जो उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनों से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर केंद्रित है।

*****

अनुलग्नक I

"सूखा और भूजल स्तर" के संबंध में दिनांक 07.08.2023 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2013 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

भारत के राज्य-वार भूजल संसाधन, 2017 (बीसीएम में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूजल पुनर्भरण					कुल नैचुरल डिस्चार्ज	वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन	वर्तमान वार्षिक भूजल निष्कर्षण				2025 तक घरेलू उपयोग के लिए वार्षिक भूजल आवंटन	भविष्य के उपयोग के लिए निवल भूजल उपलब्धता	भूजल निष्कर्षण की अवस्था (%)
		मानसून सीजन		गैर-मानसून सीजन		कुल वार्षिक भूजल पुनर्भर्ण			सिंचाई	औद्योगिक	घरेलू	कुल			
		वर्षा के माध्यम से पुनर्भरण	अन्य स्त्रोतों के माध्यम से पुनर्भरण	वर्षा के माध्यम से पुनर्भरण	अन्य स्त्रोतों के माध्यम से पुनर्भरण										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	राज्य														
1	आंध्र प्रदेश	9.96	5.62	1.21	4.42	21.22	1.07	20.15	7.85	0.14	0.90	8.90	1.48	12.31	44.15
2	अरुणाचल प्रदेश	1.89	0.18	0.95	0.01	3.02	0.36	2.67	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	2.64	0.28
3	असम	20.22	0.43	7.28	0.74	28.67	4.42	24.26	1.97	0.06	0.69	2.73	0.79	21.43	11.25
4	बिहार	19.83	3.95	3.14	4.50	31.41	2.43	28.99	10.78	0.66	1.83	13.26	1.83	15.78	45.76
5	छत्तीसगढ़	7.82	1.36	0.76	1.64	11.57	1.00	10.57	3.98	0.05	0.67	4.70	0.79	5.76	44.43
6	दिल्ली	0.13	0.06	0.03	0.11	0.32	0.02	0.30	0.09	0.02	0.24	0.36	0.29	0.02	119.61
7	गोवा	0.19	0.03	0.01	0.05	0.27	0.11	0.16	0.02	*	0.03	0.05	0.04	0.07	33.50
8	गुजरात	15.95	3.40	0.00	3.02	22.37	1.12	21.25	12.84	0.11	0.63	13.58	0.90	7.98	63.89
9	हरियाणा	3.56	2.55	1.03	3.00	10.15	1.01	9.13	11.53	0.34	0.63	12.50	0.72	0.87	136.91
10	हिमाचल प्रदेश	0.34	0.02	0.11	0.04	0.51	0.05	0.46	0.20	0.00	0.19	0.39	0.34	0.16	86.37
11	जम्मू और कश्मीर	1.00	0.50	0.88	0.51	2.89	0.29	2.60	0.20	0.07	0.50	0.76	0.50	1.84	29.47
12	झारखंड	5.25	0.13	0.41	0.42	6.21	0.52	5.69	0.80	0.22	0.56	1.58	0.56	4.13	27.73
13	कर्नाटक	6.59	4.36	2.67	3.22	16.84	2.05	14.79	9.39	*	0.95	10.34	1.14	5.41	69.87
14	केरल	3.91	0.04	0.68	1.13	5.77	0.56	5.21	1.22	0.01	1.44	2.67	1.57	2.41	51.27
15	मध्य प्रदेश	27.10	1.51	0.82	6.99	36.42	1.95	34.47	17.43	0.22	1.24	18.88	1.72	15.84	54.76
16	महाराष्ट्र	20.59	2.29	0.53	8.23	31.64	1.74	29.90	15.10	0.003	1.22	16.33	2.28	12.91	54.62
17	मणिपुर	0.23	0.01	0.17	0.02	0.43	0.04	0.39	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.34	1.44
18	मेघालय	1.37	0.01	0.43	0.02	1.83	0.19	1.64	0.03	0.00	0.01	0.04	0.02	1.59	2.28
19	मिजोरम	0.16	0.00	0.05	0.00	0.21	0.02	0.19	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.18	3.82
20	नागालैंड	1.65	0.03	0.52	0.00	2.20	0.22	1.98	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	1.96	0.99
21	ओडिशा	10.53	2.34	1.50	2.37	16.74	1.17	15.57	5.28	0.14	1.15	6.57	1.30	8.85	42.18
22	पंजाब	5.54	11.83	1.31	5.25	23.93	2.35	21.58	34.56	0.20	1.01	35.78	1.41	1.09	165.77
23	राजस्थान	9.74	0.78	0.24	2.44	13.21	1.22	11.99	14.85	0.00	1.92	16.77	2.67	0.88	139.88
24	सिक्किम	5.20	0.00	0.43	0.00	5.63	4.11	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1.51	0.06
25	तमिलनाडु	6.67	9.41	1.89	2.26	20.22	2.02	18.20	13.06	0.00	1.67	14.73	1.85	5.66	80.94
26	तेलगाना	7.56	1.42	1.88	2.76	13.62	1.25	12.37	7.09	*	1.00	8.09	1.39	4.26	65.45
27	त्रिपुरा	0.80	0.06	0.40	0.26	1.53	0.29	1.24	0.02	0.00	0.08	0.10	0.11	1.11	7.88
28	उत्तर प्रदेश	37.73	11.67	1.59	18.93	69.92	4.60	65.32	40.89	*	4.95	45.84	5.96	20.36	70.18
29	उत्तराखंड	1.15	0.93	0.09	0.87	3.04	0.15	2.89	1.30	0.13	0.22	1.64	0.22	1.25	56.83
30	पश्चिम बंगाल**	18.71	1.51	5.26	3.85	29.33	2.77	26.56	10.84	*	1.00	11.84	1.53	14.19	44.60
	कुल राज्य	**251.36**	**66.41**	**36.30**	**77.06**	**431.13**	**39.09**	**392.04**	**221.33**	**2.38**	**24.77**	**248.47**	**31.52**	**172.82**	**63.38**
	संघ राज्य क्षेत्र														
1	अंडमान और निकोबार	0.35	0.00	0.02	0.00	0.37	0.04	0.33	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.32	2.74
2	चंडीगढ़	0.02	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	0.04	0.00	*	0.03	0.03	0.03	0.00	89.00
3	दादरा और नगर हवेली	0.06	0.00	0.00	0.01	0.07	0.00	0.07	0.01	*	0.01	0.02	0.01	0.04	31.34
4	दमन और दीव	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	61.40
5	लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.004	0.00	0.00	0.002	0.002	0.00	0.00	65.99
6	पुद्दुचेरी	0.09	0.07	0.02	0.05	0.23	0.02	0.20	0.11	*	0.04	0.15	0.04	0.05	74.33
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0.54**	**0.08**	**0.05**	**0.07**	**0.73**	**0.08**	**0.66**	**0.13**	**0.00**	**0.10**	**0.23**	**0.10**	**0.43**	**34.51**
	कुलयोग	**251.90**	**66.49**	**36.34**	**77.13**	**431.86**	**39.16**	**392.70**	**221.46**	**2.38**	**24.87**	**248.69**	**31.62**	**173.25**	**63.33**

नोट:

*गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और पुडुचेरी में औद्योगिक और घरेलू मसौदे का अलग-अलग अनुमान नहीं लगाया गया है।

**पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वर्ष 2013 का स्थिति के अनुसार भूजल संसाधन मूल्यांकन पर विचार किया गया है।

*****

अनुलग्नक II

"सूखा और भूजल स्तर" के संबंध में दिनांक 07.08.2023 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2013 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

भारत के राज्य-वार भूजल संसाधन, 2020 (बीसीएम में)

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूजल पुनर्भरण					कुल नैचुरल डिस्चार्ज	वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन	वर्तमान वार्षिक भूजल निष्कर्षण				2025 तक घरेलू उपयोग के लिए वार्षिक भूजल आवंटन	भविष्य के उपयोग के लिए निवल भूजल उपलब्धता	भूजल निष्कर्षण की अवस्था (%)
		मानसून सीजन		गैर-मानसून सीजन		कुल वार्षिक भूजल पुनर्भर्ण			सिंचाई	औद्योगिक	घरेलू	कुल			
		वर्षा के माध्यम से पुनर्भरण	अन्य स्त्रोतों के माध्यम से पुनर्भरण	वर्षा के माध्यम से पुनर्भरण	अन्य स्त्रोतों के माध्यम से पुनर्भरण										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	आंध्र प्रदेश	8.93	8.54	0.85	5.83	24.15	1.21	22.94	6.60	0.15	0.88	7.63	1.31	15.91	33.26
2	अरुणाचल प्रदेश	2.01	0.07	1.11	0.002	3.19	0.27	2.92	0.003	0.0002	0.01	0.01	0.01	2.90	0.36
3	असम	17.92	0.96	7.64	0.53	27.05	5.09	21.97	1.97	0.01	0.60	2.58	0.66	19.33	11.73
4	बिहार	21.02	3.32	1.29	2.42	28.05	2.60	25.46	10.33	0.65	2.04	13.02	2.29	12.23	51.14
5	छत्तीसगढ़	8.33	1.38	1.11	1.84	12.65	1.11	11.55	4.53	0.10	0.71	5.35	0.84	6.25	46.34
6	दिल्ली	0.05	0.13	0.004	0.13	0.32	0.03	0.29	0.07	0.04	0.18	0.29	0.19	0.02	101.40
7	गोवा	0.34	0.02	0.003	0.04	0.40	0.08	0.32	0.02	0.004	0.05	0.08	0.05	0.24	23.48
8	गुजरात	19.59	2.89	0.00	4.32	26.81	1.90	24.91	12.65	0.03	0.62	13.30	0.78	12.52	53.39
9	हरियाणा	3.24	2.81	0.58	2.90	9.53	0.90	8.63	10.47	0.53	0.62	11.61	0.57	0.97	134.56
10	हिमाचल प्रदेश	0.66	0.13	0.13	0.14	1.07	0.10	0.97	0.20	0.05	0.10	0.36	0.10	0.62	36.83
11	झारखड	4.91	0.43	0.47	0.35	6.15	0.51	5.64	0.93	0.20	0.51	1.64	0.52	4.02	29.13
12	कर्नाटक	7.47	4.68	2.23	3.77	18.16	1.76	16.40	9.60	0.00	1.03	10.63	1.16	7.08	64.85
13	केरल	4.20	0.13	0.46	0.86	5.65	0.53	5.12	1.16	0.01	1.47	2.65	2.25	2.13	51.68
14	मध्य प्रदेश	27.75	1.60	0.12	6.69	36.16	2.78	33.38	17.33	0.03	1.61	18.97	1.84	15.25	56.82
15	महाराष्ट्र	20.66	2.38	0.53	8.45	32.01	1.76	30.25	15.29	0.003	1.34	16.63	1.34	14.20	54.99
16	मणिपुर	0.40	0.001	0.11	0.002	0.51	0.05	0.46	0.003	0.0002	0.02	0.02	0.02	0.44	5.12
17	मेघालय	1.66	0.01	0.36	0.01	2.04	0.22	1.82	0.03	0.0003	0.05	0.08	0.06	1.73	4.22
18	मिजोरम	0.19	0.00	0.03	0.00	0.22	0.02	0.20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.19	3.81
19	नागालैंड	1.08	0.76	0.27	0.06	2.17	0.22	1.95	0.002	0.00003	0.02	0.02	0.02	1.93	1.04
20	ओडिशा	10.26	2.71	1.51	2.60	17.08	1.37	15.71	5.50	0.15	1.21	6.86	1.46	8.74	43.65
21	पंजाब	5.01	10.42	0.95	6.41	22.80	2.20	20.59	32.80	0.00	1.05	33.85	1.08	1.61	164.42
22	राजस्थान	8.80	0.58	0.29	2.57	12.24	1.17	11.07	14.37	0.13	2.14	16.63	2.17	0.99	150.22
23	सिक्किम	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.10	0.86	0.00	0.002	0.01	0.01	0.01	0.85	0.86
24	तमिलनाडु	6.83	9.04	1.26	2.45	19.59	1.90	17.69	13.52	0.17	0.99	14.67	1.52	5.65	82.93
25	तेलगाना	7.50	3.29	1.10	4.75	16.63	1.60	15.03	7.13	0.14	0.73	8.01	0.74	7.14	53.32
26	त्रिपुरा	0.85	0.06	0.34	0.22	1.47	0.22	1.24	0.02	0.0002	0.08	0.10	0.09	1.14	7.94
27	उत्तर प्रदेश	37.75	13.16	1.30	19.99	72.20	5.32	66.88	41.29	0.00	4.74	46.03	5.38	21.53	68.83
28	उत्तराखड	1.29	0.31	0.10	0.32	2.02	0.17	1.85	0.63	0.09	0.15	0.87	0.16	0.98	46.80
29	पश्चिम बगाल*	18.71	1.51	5.26	3.85	29.33	2.77	26.56	10.84	0.27	0.73	11.84	1.53	14.19	44.60
30	अडमान और निकोबार	0.32	0.0002	0.00	0.0001	0.32	0.03	0.28	0.0001	0.001	0.01	0.01	0.01	0.28	2.60
31	चडीगढ़	0.01	0.02	0.005	0.03	0.06	0.01	0.06	0.01	0.002	0.03	0.05	0.03	0.01	80.60
32	दादरा और नगर हवेली	0.04	0.01	0.003	0.02	0.07	0.005	0.07	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	45.99
	दमन और दीव	0.03	0.0005	0.00	0.001	0.03	0.001	0.03	0.003	0.03	0.00	0.03	0.02	0.0002	113.38
33	जम्मू और कश्मीर	0.80	2.04	0.95	0.88	4.68	0.46	4.22	0.20	0.13	0.56	0.89	0.57	3.32	21.03
34	लददाख	0.01	0.05	0.02	0.04	0.12	0.01	0.11	0.001	0.0002	0.02	0.02	0.02	0.09	17.90
35	लक्षदवीप	0.011	0.00	0.002	0.00	0.01	0.01	0.005	0.00	0.00	0.003	0.003	0.005	0.002	58.47
36	पुददुचेरी	0.06	0.10	0.01	0.05	0.22	0.02	0.20	0.10	0.01	0.05	0.15	0.05	0.05	74.27
	कुलयोग	249.65	73.54	30.41	82.54	436.15	38.51	397.62	217.61	2.94	24.37	244.92	28.90	184.56	61.60

नोट-उद्योगों के लिए भूजल निष्कर्षण संबंधी आंकडे कर्णाटक, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं और यह केवल महाराष्ट्र के 2 जिलों के लिए उपलब्ध है।

* नोट- पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 2013 की स्थिति के अनुसार भूजल संसाधन मूल्यांकन पर विचार किया गया है।

*****

अनुलग्नक III

"सूखा और भूजल स्तर" के संबंध में दिनांक 07.08.2023 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2013 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

भारत के राज्य-वार भूजल संसाधन, 2022 (बीसीएम में)

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूजल पुनर्भरण					कुल नैचुरल डिस्चार्ज	वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन	वर्तमान वार्षिक भूजल निष्कर्षण				2025 तक घरेलू उपयोग के लिए वार्षिक भूजल आवंटन	भविष्य के उपयोग के लिए निवल भूजल उपलब्धता	भूजल निष्कर्षण की अवस्था (%)
		मानसून सीजन		गैर-मानसून सीजन		कुल वार्षिक भूजल पुनर्भर्ण			सिंचाई	औद्योगिक	घरेलू	कुल			
		वर्षा के माध्यम से पुनर्भरण	अन्य स्त्रोतों के माध्यम से पुनर्भरण	वर्षा के माध्यम से पुनर्भरण	अन्य स्त्रोतों के माध्यम से पुनर्भरण										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	आंध्र प्रदेश	9.14	9.41	0.91	7.77	27.23	1.36	25.86	6.46	0.16	0.83	7.45	1.09	18.54	28.81
2	अरुणाचल प्रदेश	1.96	0.94	1.06	0.56	4.52	0.41	4.07	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	4.03	0.79
3	असम	17.92	1.15	6.52	0.94	26.53	2.56	21.4	2.06	0.01	0.58	2.65	0.62	18.71	12.38
4	बिहार	19.94	7.07	1.14	5	33.15	3.1	30.04	10.01	0.35	3.14	13.5	3.41	16.76	44.94
5	छत्तीसगढ़	8.08	1.8	0.15	2.01	12.04	1.04	11.01	4.62	0.11	0.73	5.46	0.83	5.56	49.58
6	दिल्ली	0.1388	0.0895	0.0094	0.1728	0.4105	0.0411	0.3695	0.0904	0.0007	0.2716	0.3627	0.2878	0.0288	98.1612
7	गोवा	0.35	0.02	0	0.04	0.41	0.08	0.33	0.026	0.004	0.048	0.078	0.05	0.25	23.63
8	गुजरात	19	2.63	0	4.83	26.46	1.88	24.58	12.1	0.16	0.82	13.09	1.04	12.18	53.23
9	हरियाणा	3.15	2.79	0.70	2.83	9.48	0.87	8.61	10.30	0.60	0.65	11.54	0.66	1.04	134.14
10	हिमाचल प्रदेश	0.6	0.14	0.14	0.15	1.03	0.09	0.94	0.18	0.05	0.12	0.35	0.12	0.59	37.56
11	झारखंड	4.92	0.45	0.48	0.36	6.21	0.51	5.69	0.93	0.21	0.65	1.78	0.65	3.92	31.35
12	कर्नाटक	8.83	4.29	1.19	3.43	17.74	1.70	16.04	10.01	0.13	1.09	11.22	1.17	6.34	69.93
13	केरल	4.25	0.15	0.47	0.87	5.74	0.54	5.19	1.17	0.01	1.55	2.73	2.2	2.18	52.56
14	मध्य प्रदेश	26.87	1.56	0.11	6.69	35.23	2.66	32.58	17.39	0.17	1.69	19.25	1.88	14.21	59.1
15	महाराष्ट्र	20.72	2.43	0.54	8.6	32.29	1.84	30.45	15.29	0.003	1.35	16.65	1.35	14.38	54.68
16	मणिपुर	0.4	0	0.11	0.01	0.52	0.05	0.47	0.02	0.0002	0.02	0.04	0.02	0.43	7.95
17	मेघालय	1.29	0.01	0.42	0	1.72	0.17	1.51	0.003	0.0007	0.05	0.05	0.06	1.45	3.55
18	मिजोरम	0.19	0	0.03	0	0.22	0.02	0.2	0.000	0.00	0.01	0.01	0.01	0.19	3.96
19	नागालैंड	0.36	0.33	0.08	0.02	0.79	0.08	0.71	0.002	0.000020	0.02	0.02	0.02	0.69	2.89
20	ओडिशा	10.44	2.82	1.81	2.72	17.79	1.44	16.34	5.83	0.16	1.24	7.23	1.37	9.03	44.25
21	पंजाब	4.67	9.09	0.72	4.46	18.94	1.87	17.07	26.69	0.16	1.17	28.02	1.19	1.57	165.99
22	राजस्थान	8.71	0.62	0.20	2.61	12.13	1.17	10.96	14.18	0.14	2.23	16.56	2.28	0.87	151.07
23	सिक्किम	0.1712	0.0039	0.0956	0.0005	0.2712	0.0271	0.2441	0.0089	0.0022	0.0036	0.0147	0.0038	0.2291	6.04
24	तमिलनाडु	7.42	9.76	1.33	2.59	21.11	2.04	19.09	13.68	0.18	0.57	14.43	1.36	6.42	75.59
25	तेलंगाना	7.19	6.66	0.98	6.44	21.27	2.02	19.25	7.257	0.154	0.596	8	3.82	11.23	41.6
26	त्रिपुरा	0.81	0.06	0.22	0.22	1.31	0.25	1.06	0.02	0.0007	0.08	0.10	0.09	0.96	9.70
27	उत्तर प्रदेश	35.44	13.96	0.82	21.23	71.45	6.13	65.3	40.72	0.41	5.01	46.14	5.48	19.99	70.66
28	उत्तराखंड	1.28	0.31	0.1	0.32	2.01	0.16	1.86	0.63	0.12	0.15	0.89	0.15	0.96	48.04
29	पश्चिम बंगाल	15.46	1.65	3.04	3.46	23.61	2.19	21.42	8.38	0.14	1.54	10.07	1.76	11.29	47.01
30	अंडमान और निकोबार	0.2979	0.0002	0.3203	0.0001	0.6185	0.0618	0.5566	0.0001	0.001	0.0065	0.0075	0.0069	0.5486	1.35
31	चंडीगढ़	0.01	0.01	0.00	0.03	0.05	0.01	0.05	0.01	0.002	0.03	0.04	0.03	0.01	80.99
32	दादरा और नगर हवेली	0.06	0.01	0.003	0.02	0.09	0.01	0.08	0.01	0.09	0.01	0.11	0.02	0.01	133.2
	दमन और दीव	0.037	0.001	0.000	0.001	0.038	0.002	0.036	0.003	0.055	0.000	0.057	0.016	0.000	157.927
33	जम्मू और कश्मीर	1.16	1.94	1.15	0.64	4.90	0.46	4.44	0.31	0.05	0.71	1.07	0.73	3.35	24.18
34	लददाख	0.01	0.05	0.02	0	0.08	0.01	0.07	0.00037	0.000200	0.03	0.03	0.03	0.04	41.36
35	लक्षदवीप	0.01	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0	0.00	0	0	0	0	61.6
36	पुददचेरी	0.06	0.09	0.01	0.04	0.21	0.02	0.19	0.08	0.01	0.05	0.13	0.05	0.05	69.17
	कुल योग	241.35	82.30	24.88	89.07	437.60	36.85	398.08	208.49	3.64	27.05	239.16	33.86	188.03	60.08

*****